रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18102025-267023
CG-DL-E-18102025-267023

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 684] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 17, 2025/आश्विन 25, 1947
No. 684] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 17, 2025/ASVINA 25, 1947

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अक्तूबर, 2025

फा. सं. ए-12013/13/आरआर/2016-यूआईडीएआई (ई).—आधार (वित्तीय एवं अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) की धारा 54 की उप-धारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण एतद्द्वारा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति) विनियम, 2020 को और संशोधित करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामत: —

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन विनियमों को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति) तृतीय संशोधन विनियम, 2025 कहा जाएगा।

(2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति) विनियम, 2020,अनुसूची में,—

(1) "वरिष्ठ लेखा अधिकारी" पद के लिए, 'श्रेणी जिससे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति की जानी है,' के कॉलम में, प्रतिनियुक्ति के अंतर्गत, "चार्टरित लेखाकार/लागत लेखाकार/व्यवसाय प्रशासन स्नातकोत्तर (वित्त) की व्यावसायिक अर्हताएं" की अंतर्वस्तु को "अर्हताएं: चार्टरित लेखाकार/लागत लेखाकार/ व्यवसाय प्रशासन स्नातकोत्तर (वित्त) **/वाणिज्य स्नातकोत्तर** से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(2) "वरिष्ठ लेखा अधिकारी" पद के लिए, 'श्रेणी जिससे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति की जानी है,' के कॉलम में, प्रतिनियुक्ति के अंतर्गत, अंतर्वस्तु में निम्नलिखित "आईएसटीएम द्वारा आयोजित रोकड़ एवं लेखा कार्य प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो या **लेखा संबंधी कार्य को संभालने में 'सात साल के अनुभव के साथ वाणिज्य में स्नातक"** को शामिल किया जाएगा।

(3) "निजी सचिव" पद के लिए, 'पदों की संख्या' कॉलम में, **"25"** अंकों के लिए, **"22"** अंकों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(4) "अनुभाग अधिकारी" पद के लिए, 'पदों की संख्या' कॉलम में, **"74"** अंकों के लिए, **"75"** अंकों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(5) "सहायक लेखा अधिकारी" पद के लिए, 'पदों की संख्या' कॉलम में, **"10"** अंकों के लिए, **"12"** अंकों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

पीयूष चंद गुप्ता, उपमहानिदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./418/2025-26]

नोट : मूल विनियमों को भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग-III, खंड 4 में अधिसूचना संख्या ए-12013/13/आरआर/2016-यूआईडीएआई (2020 की संख्या 1) दिनांक 21 जनवरी, 2020 के द्वारा प्रकाशित किया गया था और उसे अंतिम बार अधिसूचना संख्या ए-12013/13/आरआर/2016-यूआईडीएआई (ई), दिनांक 24 मार्च, 2025 के द्वारा संशोधित किया गया था।

UNIQUE IDENTIFICATION AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th October, 2025

F. No. A-12013/13/RR/2016-UIDAI (E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 54 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016), the Unique Identification Authority of India hereby makes the following regulations to further amend the Unique Identification Authority of India (Appointment of Officers and Employees) Regulations, 2020, namely:—

1. Short title and commencement. —(1) These regulations may be called the Unique Identification Authority of India (Appointment of Officers and Employees) Third Amendment Regulations, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Unique Identification Authority of India (Appointment of Officers and Employees) Regulations, 2020, in the Schedule—

(a) For the post "Senior Accounts Officer", under deputation, in column 'Grade from which promotion/ deputation is to be made', the contents "Professional qualifications of Chartered Accountant/ Cost Accountant/MBA (Finance)" shall be substituted with "Qualification: Chartered Accountant/Cost Accountant/ MBA (Finance)/ **M. Com**".

(b) For the post "Senior Accounts Officer", under deputation, in column 'Grade from which promotion/ deputation is to be made', following shall be added below the contents "Having successfully completed Cash & Accounts Training organized by ISTM"

***"Or,* Graduation in Commerce with Seven years' experience in handling accounts related work."**

(c) For the post "Private Secretary", in column 'Number of post', for the figures "**25**", the figures, **"22"** shall be substituted.

(d) For the post "Section Officer", in column 'Number of post', for the figures "**74**", the figures, **"75"** shall be substituted.

(e) For the post "Assistant Account Officer", in column 'Number of post', for the figures "**10**", the figures, **"12"** shall be substituted.

PIYUSH CHAND GUPTA, Dy. Director General

[ADVT.-III/4/Exty./418/2025-26]

Note: The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, vide notification number A-12013/13/RR/2016-UIDAI (No. 1 of 2020), dated the 21st January 2020 and last amended vide notification number A-12013/ 13/RR/2016-UIDAI (E), dated 24th March, 2025.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA